**संख्या-23/2021/04/22-2-2021-17(440)/2020**

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2021***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-226/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 18.12.2020, दिनांक 05.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम-सराय करौरा, थाना-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। सोहनलाल व अहिबरन ने बन्दी को उसके सूखे खेतों में सिंचाई के लिए मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा समाज व गांव में कोई स्थान नहीं है। इसी बात को लेकर बंदी ने दिनांक 28.04.1980 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सोहनलाल व उसकी पत्नी ईश्वरी देवी पुत्र अहिबरन सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-366/1981 भा0द0सं0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-06, लखनऊ के आदेश दिनांक 19.05.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2002 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2003 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.12.2020 तक 16 वर्ष 10 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 09 माह 06 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा बंदी द्वारा गम्भीर अपराध किया गया है, जिससे समाज में भय व्याप्त होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, समाज को प्रभावित करने वाले अपराधिक कृत्य जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-246/2020 गिरीश चन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 17.09.2020 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गिरीश चन्द्र (बन्दी संख्या-14707) पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-23/2021/04(1)/22-2-2021 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।